अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 525/2012

विभा देवी एवं अन्य — अपीलार्थीगण

वनाम

राज्य एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:आदेशः–

प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा सदर के न्यायालय के आदेश 12.11.2012 ई० अंदर भूमि विवाद वाद संख्या– 49/12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है ।

अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं निम्नन्यायालय के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार विवादग्रस्त भूमि मौजा सहरसा थाना नं0 189 खाता पूरानाः 1834, खाता नयाः 2059 खेसरा पूराना 691 खेसरा नयाः 1324, रकवाः 2 कट्ठा है।

अपीलार्थी/प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते है कि प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा केवाला नं0 19699 दिनांक 03.12.1982 पुराना खाता 1834 पुराना खेसरा 691 एराजी 17 धूर खरीद किया गया है। केवाला के पश्चात बिहार सरकार के सिरिस्ता में अपने नाम से जमाबन्दी 141 चल रही है। आगे यह भी कथन करते है कि वैधानिक तौर पर भवन निर्माण हेतु नगरपालिका से नक्शा पास कराकर मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं। उनके द्वारा रेस्पोण्डेन्ट/वादी के दावा को दो कट्ठा जमीन पर दावा करने से इन्कार करते है। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा उनके ही जमीन को अतिकमित किया गया है। रेस्पोण्डेन्ट/ वादी को मात्र एक कट्ठा साढ़े ग्यारह धूर जमीन खतियान में दिखाया गया है। अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 का कथन है कि केवाला संख्या 2519 दिनांक 11.02.94 के द्वारा एक कट्ठा 1 धूर जमीन पत्नी शशिकला रानी के नाम पुराना खेसरा 691 नया खेसरा 1323 खरीदा गया है एवम दखलकार चले आ रहे है जमाबंदी नं0 232 चल रही है। रेस्पोण्डेन्ट/वादी के द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 की खरीदगी जमीन में से अतिकमित किया गया है। अपीलार्थी/ प्रतिवादी संख्या 3 का कथन है कि पुराना खेसरा 691,नया खेसरा 1323 रकबा 19 धूर निबंधित केवाला से उन्हें प्राप्त है एवं बिहार सरकार के सिरिस्ता में जमाबंदी कायम होकर रसीद कटती आ रही

है। नगरपालिका से नक्शा पास कराकर घर बनाया गया है। उक्त खरीदगी जमीन में से आवागमन निकास हेतु जमीन छोड़ा गया है जिसे अतिक्रमित कर लिया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट/वादी का कथन है कि विवादग्रस्त भूमि उन्हें निबंधित केवाला संख्याः 5986 दिनांक 14.05.2008 के द्वारा खरीदा गया जिस पर वे दखलकार आ रहे हैं। अपीलार्थी /प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 के द्वारा अवैध रूप से उपरोक्त खरीदगी जमीन 02 दो कट्ठा में से पश्चिम भाग के उत्तर से 1.1/2 फीट एवं दक्षिण में 3 फीट चौड़ाई तथा लम्बाई 78 फीट की भूमि जो अपने मकान के रख रखाव हेतु छोडा गया था जिसे अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 उक्त जमीन के उपर अपना छज्जी एवं बाउण्ड्री निकाल लिया एवं दावा करने लगा । अपीलार्थी/ प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा उत्तर में 02 फीट एवं दक्षिण में 02 फीट लम्बाई 74 फीट को भी अपने बाउण्ड्री के अन्दर ले लिया है। विवादग्रस्त भूमि का सर्वे बिहार सरकार के नाम से हो गया था जिसे रेस्पोण्डेन्ट/वादी के विक्रेता के द्वारा नगरपालिका सर्वे के अन्तर्गत केस दाखिल किया गया था जो अधीक्षक नगरपालिका सर्वे के द्वारा बिहार सरकार का नाम विलोपित कर दिया गया एवं तरबीन भी किया गया। विवादाग्रस्त भूमि का जमाबंदी नं0 222 रेस्पोण्डेन्ट/वादी के नाम से चल रहा है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश पारित करने से पूर्व स्थल निरीक्षण एवं भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है, जिसके आधार पर वाद का निस्तार करने पर विवाद की संभावना हो सकती है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए भूमि सुधार उप– समाहर्त्ता, सहरसा को वाद पुनः प्रेषित (Remand) करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि वे स्थल निरीक्षण कर एवं भूमि का सीमांकन कराकर स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त कर सुनवाई करें।

अतः अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए वाद निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।